न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/116
मुकदमा नम्बर 36/2024 दर्ज दिनांक– 07.03.2024

जाकिर पुत्र अब्दुल गफार उर्फ अब्दुल जफर जाति व्यापारी निवारी वार्ड नं. 15 मोहल्ला दारूगरान, नवलगढ तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री विप्लव पण्डित
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 18.06.2024

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम दुर्जनपुरा पटवार हल्का ढाणिया नवलगढ की सरहद में नई खाता सं. 18 पुराना 17 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 402 रकबा 1.55 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम अब्दुल जफर के स्थान पर अब्दुल गफार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ़ की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट कमांक 1482 दिनांक 14/05/2024 पेश हुई। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने प्रा. पत्र में चाहा गया संशोधन किया जाना उचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा, ग्राम दुर्जनपुरा पटवार हल्का ढाणिया नवलगढ की सरहद में नई खाता सं. 18 पुराना 17 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 402 रकबा 1.55 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम अब्दुल जफर के स्थान पर अब्दुल गफार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ द्वार प्रस्तुत रिपोर्ट उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताविक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

Scanned with CamScanner